

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 को 02.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. शोक प्रस्ताव

एक मंत्री स्वर्गीय:-

- 1. श्री सत्यपाल मलिक, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा तथा बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल;
 - 2. श्री इन्द्र सिंह नैन, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
 - 3. श्री हरि राम बाल्मीकि, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
 - 4. श्री मंगल सिंह, स्वतंत्रता सेनानी;
 - 5. हरियाणा के शहीद;
 - 6. पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमला;
 - 7. अहमदाबाद में विमान दुर्घटना;
 - 8. अन्य;
- के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

II. प्रश्न।

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

III. शून्य काल।

IV. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट।

- (i) अध्यक्ष विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
- (ii) समिति के प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट एक सदस्य में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

V. ध्यानाकर्षण सूचनाएं।

(i)	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-12 जिसकी सूचना- 1. श्री अर्जुन चौटाला, एम.एल.ए.;	रोहतक, भिवानी तथा हिसार सहित राज्य के कई जिलों में जलभराव की समस्या, जिसके कारण फसलों को नुकसान हुआ है, से सम्बंधित।
(ii)	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-24 जिसकी सूचना- 1. श्री मामन खान, एम.एल.ए.;	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 पर चर्चा के समय एक स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं।
	2. मोहम्मद इल्यास, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है, को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना	

	संख्या 12 के साथ क्लब कर दिया गया है।	
(iii)	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-29 जिसकी सूचना- श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.द्वारा दी गई है, को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 पर चर्चा के समय एक स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं।

VI. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र।

1.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 06/जी.एस.टी-2, दिनांकित 14 मार्च, 2024 मेज पर पुनः रखेंगे।
2.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 07/जी.एस.टी-2, दिनांकित 14 मार्च, 2024 मेज पर पुनः रखेंगे।
3.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस.टी-2, दिनांकित 14 मार्च, 2024 मेज पर पुनः रखेंगे।
4.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 09/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 मई, 2024 मेज पर पुनः रखेंगे।
5.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16 /जी.एस.टी-2, दिनांकित 15 जुलाई, 2024 मेज पर पुनः रखेंगे।
6.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/जी.एस.टी-2, दिनांकित 15 जुलाई, 2024 मेज पर पुनः रखेंगे।
7.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18/जी.एस.टी-2, दिनांकित 15 जुलाई, 2024 मेज पर पुनः रखेंगे।
8.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19/जी.एस.टी-2, दिनांकित 19 जुलाई, 2024 मेज पर पुनः रखेंगे।
9.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 20/जी.एस.टी-2, दिनांकित 08 अगस्त, 2024 मेज पर पुनः रखेंगे।
10.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/जी.एस.टी-2, दिनांकित 28 अगस्त, 2024 मेज पर पुनः रखेंगे।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

49.	एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार उर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या एच.ई.आर.सी/60/2024, दिनांकित 22 अक्टूबर, 2024 मेज पर रखेंगे।
50.	एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार उर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या एच.ई.आर.सी/61/2024, दिनांकित 11 नवम्बर, 2024 मेज पर रखेंगे।
51.	एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार उर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या एच.ई.आर.सी/59/2023/1वां संशोधन/2025, दिनांकित 25 फरवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
52.	एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार उर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या एच.ई.आर.सी/62/2025, दिनांकित 27 मई, 2025 मेज पर रखेंगे।
53.	एक मंत्री	हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) अधिनियम 2014(2014 का 22) की धारा 52(4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार गृह विभाग अधिसूचना संख्या 4/66/2023-3जी.ई.सी, दिनांकित 29 अप्रैल, 2025 मेज पर रखेंगे।
54.	एक मंत्री	हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014(2014 का 4) की धारा 21(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना संख्या 7/11/2014-3 ए.आर, दिनांकित 08 जुलाई, 2025 मेज पर रखेंगे।
55.	एक मंत्री	हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024(2024 का 17) की धारा 10(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार मानव संसाधन विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ.67/ एच.ए.17/2024/ एस.10/2025, दिनांकित 05 अगस्त, 2025 मेज पर रखेंगे।
56.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020-2021 के लिए हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
57.	एक मंत्री	सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण(एस.एम.डी.ए) अधिनियम, 2023(2023 का अधिनियम संख्या 28) की धारा 39 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट के लिए सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण(एस.एम.डी.ए) की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
58.	एक मंत्री	हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा 17 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2024-2025 (01.04.2024 से 31.03.2025) के लिए हरियाणा लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
59.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2023-2024 के लिए हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

VII. (i) विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सन:	श्री अशोक कुमार अरोड़ा, एम.एल.ए. थानेसर द्वारा श्री नरेंद्र शर्मा पति श्रीमती प्रवीन शर्मा, वार्ड न. 2, श्री सतीश मदान पति श्रीमती निशा मदान, वार्ड न. 7 तथा श्री सुरेश कुमार पति श्रीमती बख्शीश कौर, वार्ड न. 14, नगर परिषद् थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र तथा श्री राजेश कुमार, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् थानेसर के विरुद्ध दिनांक 3 जून, 2025 दी गई सूचना द्वारा उठाए गए अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
यह भी	प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

(ii) श्री अनिल यादव, एम.एल.ए. कोसली द्वारा दी गई शिकायत के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सन:	श्री अनिल यादव, एम.एल.ए. कोसली द्वारा श्री उमेश, सहायक अभियंता, उप- मण्डल, पालहावास, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी.एच.बी.वी.एन.) के विरुद्ध 5 जुलाई, 2025 को दी गई शिकायत जिसमें फ़ोन कॉल का जवाब न देने, दुर्व्यवहार तथा कर्तव्यों में लापरवाही का आरोप लगाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
यह भी	प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

VIII. विधायी कार्य।

(पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025	एक मंत्री	हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
2. हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025	एक मंत्री	हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

चण्डीगढ़:
21 अगस्त, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।